न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धामगुडे स्नेहल माना, आई.ए.एस.
राजस्व प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/53
दायर तिथि : 09.02.2022
फैसला तिथि : 24-01-23

वादी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. कन्चनदेवी पत्नि सुरेशकुमार जाति जणवा सीरवी सा. देह खातेदार
2. किस्तुरचन्द पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी गुडा सिरवियान
3. गुलाबी पत्नि भगाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार
4. चम्पादेवी पत्नि समाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
5. धापुदेवी पत्नि कपुराराम जाति कुम्हार सा. बारवा
6. पदमाराम पुत्र केसाराम जाति मेघवाल सा. गुडा सिरवियान
7. पेपीदेवी पत्नि पुखराज जाति हीरागर सा. देह खातेदार
8. पानीदेवी पत्नि पदमाराम जाति मेघवाल सा. गुडा सिरवियान
9. मगीदेवी पत्नि हतनाराम जाति जणवा चौधरी सा. देह खातेदार
10. मनोजकुमार पुत्र अनन्तप्रकाश जाति श्रीमाली ब्राहमण सा. गुडा सिरवियान
11. रमेशकुमार पुत्र पुखराज जाति जणवा सीरवी सा. देह खातेदार
12. सुखीबाई पत्नि रमेशकुमार जाति जणवा सीरवी सा. देह खातेदार
13. सुरेशकुमार पुत्र पुखराज जाति जणवा सीरवी सा. देह खातेदार
14. सविता पत्नि मोहनलाल जाति हीरागर सा. देह खातेदार निवासीगण गुडा सिरवियान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
15. पोमाराम पुत्र दरगाराम जाति जणवा चौधरी निवासी दांतीवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः–
1. श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा..... अभिभषक अप्रार्थी सं0 03, 06, 08, 14 की ओर से
2. श्री नेकाराम चौधरी ..... अभिभाषक अप्रार्थी सं0 04, 05, 09 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.....पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– **दिनांक 24-01-2023**

प्रकरण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं पटवारी हल्का, सेवाडी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् पाया कि ग्राम सेवाडी तहसील बाली में स्थित राजस्व कृषि भूमि खसरा नंबर 1111 रकबा 0.49 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव अव्वल का बिना आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराये मौके पर मकान बनाकर आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। अप्रार्थी खातेदारान् का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार, बाली के आवेदन पर दिनांक 09.02.2022 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण संस्थापित कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर दिनांक 06.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 13 ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर अप्रार्थी संख्या 01, 07, 11, 12, 13 द्वारा धारित भूखण्डो के आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने के साक्ष्य पेश किये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 04, 05, 09 की ओर से अधिवक्ता श्री नेकाराम चौधरी द्वारा वकालतनामे पेश किये गये तथा अप्रार्थी संख्या 06, 08, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा ने वकालतनामे पेश किये। तथा अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से आयन्दा वकालतनामा प्रस्तुती के लिये अण्डर टेकिंग लिया गया। प्रकरण को अप्रार्थीगण की ओर से कन्टेस्ट करने की आगे की कार्यवाही वाद के बतौर किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण प्रतिवादीगण के जवाब के लिये लंबित रहते प्रतिवादी संख्या–10 मनोजकुमार से भूमि खरिदकर्ता पोमाराम पुत्र दरगाराम ने दिनांक 28.09.2022 को उपस्थित होकर भूखण्ड संख्या–10 20x50=1000 वर्गफीट खरीदने के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की फोटो प्रति प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/53

अनवान् राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली बनाम कन्चनदेवी वगैरा अंतर्गत धारा प्रकरण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इसके साथ ही प्रार्थी पोमाराम द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि रेकर्ड में दर्ज सह खातेदार मनोजकुमार द्वारा भूमि का बेचान प्रार्थी एवं अन्य खरीददारो को कर देने से मनोजकुमार का कोई हित नहीं होने से अन्य खरीदकर्ताओ को पक्षकार बनाये बिना वादी तहसीलदार, बाली का प्रकरण चलने योग्य नहीं है। इसके साथ ही वर्ष 2000 से वर्णित भूमि में मौके पर मकानात बने हुये होने से कार्यवाही ड्रोप किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी पोमाराम के प्रार्थना पत्र को आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रोविजो अनुसार न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये प्रार्थी पोमाराम को बतौर प्रतिवादी संख्या 15 प्रकरण में पक्षकार बनाया गया। इसके साथ ही भूमिधारी तहसीलदार, बाली को प्रकरण में वर्णित भूमि के अन्य खरिदकर्ता व हितबद्ध व्यक्तियो को पक्षकार बनाये जाने के निर्देश दिये गये। प्रकरण में वर्णित प्रतिवादी संख्या 04, 05, 09 के द्वारा दिनांक 03.11.2022 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि उनके द्वारा अपनी खरीद शुदा भूमि का अकृषि प्रयोजन उपयोग नही किया है। उनके खरीदशुदा भूखण्ड पर आज भी किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है। जिससे प्रकरण में कॉज ऑफ एक्शन **वाद हेतूक उत्पन्न नहीं होने** से उनके विरूद्व की जा रही कार्यवाही को ड्रोप किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में वर्णित प्रतिवादी संख्या 03, 06, 08, 14 को जवाब के लिये पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब अवसर बंद किया जाता है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी पक्ष द्वारा दलील दी गई कि प्रकरण प्रस्तुती के समय अधिकांश खरिदकर्ताओ के पास प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार, बाली के संपरिवर्तन आदेश होने के बावजुद भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त प्रकरण पेश किया गया है, जिससे उक्त प्रकरण में **वाद हेतूक उत्पन्न ही नहीं** होता है, इसके साथ ही खातेदार मनोजकुमार द्वारा जब अपनी भूमि का बेचान रजिस्टर्ड दस्तावेजो के माध्यम से अन्य व्यक्तियो को कर दिया तथा कब्जा खरिदकर्ताओ को दे दिया गया, तब मनोजकुमार का कोई हित न होते हुये उसे तो प्रकरण में पक्षकार बनाया गया तथा खरिदकर्ता जो कि आवश्यक हितबद्ध पक्षकार थे, उन्हे पक्षकार ही बनाया गया है, जिससे **पक्षकारो के असंयोजन की वजह से भी प्रकरण चलने योग्य नहीं होने** खारिज किये जाने की दलील दी गई। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि राजस्व रेकर्ड में भूमि कृषि भूमि के तौर पर अंकन होने तथा मौके पर पक्षकारो द्वारा मकानात बना देने से पटवारी हल्का, सेवाडी की जांच के आधार पर वर्णित भूमि सेवाडी के खसरा नंबर 1111 रकबा 0.49 हैक्टर के सबंध में प्रकरण धारा 177 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। बहस में वादी पैरोकार सरकार द्वारा प्रतिवादी संख्या 01, 07, 11, 12, 13 द्वारा धारित भूखण्डो के आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने के **संपरिवर्तन आदेश का खण्डन नहीं** किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त प्रकरण दिनांक 02.02.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जबकि वर्णित भूमि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 1111 मेंसे वादी तहसीलदार स्वयं के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01, 07, 11, 12, 13 के द्वारा धारित भूखण्डो को दिनांक 21.01.2004 को **संपरिवर्तन किया जा चुका** था। इसके साथ ही प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि खातेदार मनोजकुमार द्वारा अपनी भूमि का बेचान कर देने से खरिदकर्ता प्रकरण में आवश्ययक पक्षकार थे, जिन्हे भी पक्षकार नहीं बनाया गया। हितबद्ध व्यक्तियो व खरिदकर्ताओ को पक्षकार बनाये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा भी दिनांक 28.09.2022 को दिये गये। इसके साथ ही प्रकरण में अधिकांश खरिदकर्ता ऐसे है, जिनके पास बेचान रजिस्ट्रीया है, परन्तु उनके नाम नामान्तरकरण नहीं हुये है, तथा उनके द्वारा किसी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ अपनी भूमि का उपयोग नही करते हुये भी प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण में **वाद हेतूक उत्पन्न नहीं होने** व पक्षकारो के असंयोजन की वजह से वादी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 24-1-23को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner